भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5590

जिसका उत्तर शुक्रवार, 27 मार्च, 2026 को दिया जाना है

तमिलनाडु में न्यायालयों का डिजिटलीकरण

+5590. श्री जी. सेल्वम :

श्री सी. एन. अन्नादुरई :

श्री नवसकनी के.:

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत तमिलनाडु में न्यायालयों के डिजिटलीकरण की प्रगति की समीक्षा की है और यदि हां, तो इससे न्याय तक पहुंच और न्यायालय के कार्यकरण की दक्षता में कितना सुधार हुआ है,

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य में कितने जिले और अधीनस्थ न्यायालयों में ई-फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई, डिजिटल रिकॉर्ड और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं ;

(ग) क्या डिजिटल सेवाओं के कार्यान्वयन से लंबित मामलों की संख्या में कमी आई है, पारदर्शिता में सुधार हुआ है और वादियों तथा अधिवक्ताओं के लिए 'विशेषकर दूर-दराज के जिलों में आसान पहुंच की सुविधा हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) तमिलनाडु के न्यायालयों में डिजिटल अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण के लिए कितनी निधि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है; और

(ङ) डिजिटल न्यायालय सेवाओं का विस्तार करने, प्रयोक्ता के अनुकूल प्लेटफार्मों को बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि प्रौद्योगिकी आधारित न्याय प्रदाय का लाभ सम्पूर्ण राज्य में समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना को न्यायिक प्रणाली में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी **(**आईसीटी**)** के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश में चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है न्याय विभाग भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के साथ निकट

समन्वय में मद्रास उच्च न्यायालय सहित संबंधित उच्च न्यायालयों के माध्यम से विकेन्द्रीकृत रूप से ई-न्यायालय परियोजना को लागू कर रहा है।

ई-कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण के अधीन मद्रास उच्च न्यायालय को आबंटित और जारी की गई तथा उपयोग की गई निधि का विवरण इस प्रकार है:

(रुपये करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	**आबंटित/जारी**	**उपयोग किया**
2023-24	90.69	90.69
2024-25	91.74	91.74
2025-26	113.19	66.65*

- *तारीख 18 मार्च, 2026 तक*

मद्रास उच्च न्यायालय को जारी की गई निधियों के अतिरिक्त, ई-न्यायालय परियोजना के विभिन्न घटकों पर केन्द्रीय रूप से व्यय किया गया है। इस संबंध में, सॉफ्टवेयर विकास और तकनीकी सहायता के लिए एनआईसी को 185.06 करोड़ रुपये, देश भर में भारतीय संचार निगम लिमिटेड को वैन (वाइड एरिया नेटवर्क) कनेक्टिविटी के लिए 54.79 करोड़ रुपये, ई-समिति को 7.51 करोड़ रुपये, एससीआई को परिवर्तन प्रबंधन और क्षमता निर्माण के लिए, आईआईटी मद्रास को ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के विकास के लिए 0.28 करोड़ रुपये और विविध व्यय (वेतन) के लिए 9.71 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । (वेतन कार्यालय व्यय, प्रचार, आदि)।

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार**,** तमिलनाडु राज्य में 1,325 न्यायालयों को ई-फाइलिंग**,** अभासी **(**वर्चुअल**)** सुनवाई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के साथ सक्षम बनाया गया है। 825 न्यायालयों में मामलों के अभिलेखों की स्कैनिंग पूर्ण हो चुकी है। या न्यायालय अभिलेखों के 39.21 करोड़ से अधिक पृष्ठों को अब तक डिजिटलीकरण किया गया है। अधिकांश प्रकार के मामलों के लिए ई-फाइलिंग लागू की गई है और **तारीख** 31 जनवरी, 2026 तक 24.31 लाख मामले ई-फाइल द्वारा किए गए हैं। तारीख 31 जनवरी, 2026 तक 20.23 लाख से अधिक अभासी (वर्चुअल) सुनवाई आयोजित की जा चुकी है। इसके तारीख दूरस्थ के क्षेत्रों में नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए राज्य भर में 317 ई-सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। डिजिटल न्यायालय कृत्रिम बुद्धिमता 2.1 नामक एक एआई आधारित उपकरण विकसित किया गया है, जो न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों को मामले से संबंधित सभी सूचनाओं और कार्यों के लिए एकल खिड़की प्रदान करके कागज रहित रुप से न्यायालय का प्रबंधन करने में सहायता करता है। प्लेटफ़ॉर्म में वाक्-से-पाठ (एएसआर-श्रुति) और अनुवाद (पाणिनि) कार्यक्षमताएं सम्मिलित हैं जो न्यायाधीशों को आदेश और निर्णय श्रुतलेख में सहायता करती हैं।

ई-कोर्ट परियोजना के अधीन डिजिटल हस्तक्षेपों ने बेहतर केस प्रबंधन, ई-फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई, लंबित मामलों और निपटान के वास्तविक समय का अनुश्रवण

और न्यायालय प्रक्रियाओं में शीघ्र सेवा की सुविधा के माध्यम से न्याय वितरण प्रणाली में दक्षता बढ़ाई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, डेटा एनालिटिक्स और अंतर-संचालित पद्धति केअंगीकरण से न्यायिक संसाधनों का बेहतर उपयोग, विवादों का शीघ्रता से समाधान और कक्षीकार के लिए न्याय तक बेहतर पहुंच में योगदान मिल रहा है।

ई-कोर्ट परियोजना के अधीन बनाई गई सुविधाओं का न्यायिक प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिसमें 2014 और 2025 के मध्य देश में न्यायालयों द्वारा वार्षिक मामले के संस्थित होने में 169% की वृद्धि (0.98 करोड़ से 2.64 करोड़ तक) और वार्षिक मामले के निपटान में 207% की वृद्धि (0.81 करोड़ से 2.49 करोड़ तक) सम्मिलित है।
